पत्र सं0:-एम-4-32/2012- 1178/वि0

बिहार सरकार

वित्त विभाग

प्रेषक,

संजीव हंस,
सचिव (व्यय)।

सेवा में,

सभी प्रधान सचिव/सचिव,
सभी प्रमण्डलीय आयुक्त,
सभी विभागाध्यक्ष,
सभी जिला पदाधिकारी,
सभी कोषागार पदाधिकारी।

पटना, दिनांक- 5-2-14

विषय:- **राज्य सरकार के सेवानिवृत पदाधिकारियों/कर्मचारियों को सभी सेवान्त लाभों का भुगतान बैंक खाता के माध्यम से किए जाने के सम्बन्ध में।**

महाशय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में कहना है कि राज्य सरकार के अधीन कार्यरत पदाधिकारियों/कर्मचारियों को उनके वेतन का भुगतान राष्ट्रीयकृत बैंक में उनके नाम से खोले गये खातों के माध्यम से किये जाने की व्यवस्था है (वित्त विभागीय पत्र सं0-4358 दिनांक 16.06.2004)।

2. सेवानिवृत पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों को उनके सेवान्त लाभों का भुगतान बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से किया जाता है। इससे अनावश्यक विलम्ब होता है और सेवानिवृत कर्मियों को कठिनाई होती है। इसका निराकरण सरकार के विचाराधीन था।

3. सम्यक विचारोपरान्त यह निर्णय लिया गया है कि राज्य सरकार के सेवानिवृत पदाधिकारियों/कर्मचारियों के सेवान्त लाभ यथा, भविष्य निधि, ग्रुप बीमा, अर्जित अवकाश नकदीकरण एवं ग्रेच्युटी से संबंधित भुगतान उसी बैंक खाते से किया जायेगा जिसमें वे सेवावधि के दौरान अपना वेतन भुगतान प्राप्त करते रहे हैं। सेवानिवृत पदाधिकारियों/कर्मचारियों के स्थान परिवर्तन की स्थिति में उनसे परिवर्तित बैंक खाता संख्या, बैंक एवं शाखा का नाम, IFS code की लिखित सूचना प्राप्त करने के बाद तद्नुसार उनके परिवर्तित खाता के माध्यम से उनके सेवान्त लाभ का भुगतान किया जाएगा।

विश्वासभाजन,

3/2/14
(संजीव हंस)
सचिव (व्यय)